



टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/आरसी/आईएमपीएल/2025/963

दिनांक 11.06.2025

परिपत्र

यह चाय उद्योग में मूल्य निर्धारण और बाजार संरचना में सुधार पर रामशेषन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से संबंधित है। रिपोर्ट 21.06.2024 को ईमेल के माध्यम से प्रसारित की गई थी।

समिति की सिफारिशों की जांच टी बोर्ड द्वारा मौजूदा नियमों, रिपोर्ट पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक और क्रमशः 9 अगस्त 2024 और 5 मार्च 2025 को आयोजित 250वीं और 251वीं बोर्ड बैठकों में हुए विचार-विमर्श के आधार पर की गई है।

जांच के आधार पर, बोर्ड ने पहले चरण के रूप में भारत नीलामी मॉडल के संबंध में लॉट्स के मानकीकरण और नमूनाकरण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने पर रामशेषन समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि रिपोर्ट में नमूनाकरण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने पर कई तरह के सुझाव शामिल हैं, लेकिन केवल प्रमुख और सबसे प्रभावी सिफारिशों को ही प्रारंभिक चरण में जमीनी स्तर की प्रथाओं के साथ संरेखित करते हुए मामूली संशोधनों के साथ कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित किया गया है।

तदनुसार, भारत नीलामी, 2021 पर अखिल भारतीय नीलामी नियम के प्रासंगिक नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

भारत नीलामी नियम सं.		वर्तमान नियम	संशोधित नियम
33.	लॉट आकार	उत्तर भारत के लिए, टी बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में उल्लिखित लॉट साइज का पालन किया जाएगा। संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/जनरल/11-13/पी-III/वॉल्यूम-3/2017/13078 दिनांक 25 अगस्त, 2011 दक्षिण भारत के लिए, लॉट में पैकेजों की न्यूनतम सं. 15 पैकेजों से कम नहीं होनी चाहिए।	उत्तर भारत के लिए, टी बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/भारत नीलामी/2021 दिनांक 06.10.2023 में उल्लिखित लॉट साइज का पालन किया जाएगा। दक्षिण भारत के लिए: क लॉट में पैकेजों की न्यूनतम सं. 15 पैकेजों से कम नहीं होगी। ख विक्रेता समान चाय (समान चाय प्रकार, ग्रेड आदि के साथ एक ही बैच से उत्पादित) के संबंध में एक मास्टर लॉट बनाएंगे। मास्टर लॉट में एक या अधिक उप-लॉट शामिल

भारत नीलामी नियम सं.	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
		होंगे। ग प्रत्येक उप-लॉट में न्यूनतम 15 पैकेज होंगे। घ विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि मास्टर-लॉट और उप-लॉट के बीच चाय की गुणवत्ता में कोई अंतर न हो। ड मास्टर-लॉट, मास्टर लॉट के तहत उप-लॉट और उप-लॉट बनाने वाले पैक्स को ट्रेसबिलिटी में सहायता के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा [106]।
10.	ब्रोकरों द्वारा चाय का निरीक्षण और नमूने लेना (ग) नीलामी आयोजक या चाय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सभी मापदंडों के संबंध में दलालों द्वारा चाय का निरीक्षण किया जाएगा और संबंधित लॉट के सामने सूची में उसका विवरण शामिल किया जाएगा। घ. निरीक्षण के दौरान जो चाय थोक के बड़े हिस्से से भिन्न पाई जाती है, उसे ब्रोकर द्वारा विक्रेता/नीलामी आयोजक को सूचित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, विक्रेता के पास चाय को पुनः थोक/सुधार के बाद फिर से पेश करने या गोदाम से चाय वापस लेने का विकल्प होगा। ड पुनःबल्कड/संशोधित चाय का विवरण दलाल द्वारा चाय की सूची बनाने से पहले नीलामी	क. ब्रोकर सूचीकरण के बाद लॉट से नमूने निकालेंगे। ख. मास्टर-लॉट या उस मास्टर-लॉट के किसी एक उप-लॉट से केवल एक नमूना ही निकाला जाएगा। पैकेज और मास्टर-लॉट/उप-लॉट जहां से नमूना निकाला जाता है, उसे ब्रोकर द्वारा उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। ग नीलामी आयोजक या टी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सभी मापदंडों के संबंध में ब्रोकरों द्वारा चाय का निरीक्षण किया जाएगा और संबंधित लॉट के सामने सूची में उसका विवरण शामिल किया जाएगा। घ. निरीक्षण के दौरान जो चाय थोक के बड़े हिस्से से भिन्न पाई जाती है, उसे ब्रोकर द्वारा विक्रेता/नीलामी आयोजक को सूचित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, विक्रेता के पास चाय को पुनः थोक/सुधार के बाद फिर से पेश करने या गोदाम से चाय वापस लेने का विकल्प होगा। ड पुनःबल्कड/संशोधित चाय का विवरण ब्रोकर द्वारा चाय की सूची बनाने से पहले नीलामी आयोजक को सूचित किया जाएगा।

भारत नीलामी नियम सं.	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
	सूचित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, विक्रेता के पास चाय को पुनः थोक/सुधार के बाद फिर से पेश करने या चाय को वापस लेने का विकल्प होगा। च. ब्रोकर द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से लाटों से निकाले जाने वाले नमूनों की मात्रा भारत में सभी 07(सात) पंजीकृत नीलामी केंद्रों में जारी वर्तमान प्रथा के अनुसार होगी। छ. प्रत्येक लॉट से निकाले जाने वाले नमूनों की मात्रा निर्धारित करते समय, नीलामी आयोजक को इस संबंध में समय-समय पर टी बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करना होगा।	च. निकाले जाने वाले नमूने की मात्रा लॉट आकार के 0.5% तक सीमित होगी, जो अधिकतम 4 किलोग्राम होगी।
11.	व्यापार नमूने प्राप्त करने के लिए क्रेताओं की पात्रता क. दक्षिण भारत में बिक्री के लिए चाय के प्रत्येक लॉट से निकाले जाने वाले मुक्त व्यापार नमूने की मात्रा का निर्धारण संबंधित नीलामी आयोजक द्वारा विक्रेता, क्रेता और ब्रोकरों से मिलकर बनी अपनी समिति के सदस्यों के परामर्श से किया जाएगा। ख. एक लॉट से नमूने की मात्रा एकत्र करने के लिए उत्तर भारत के प्रत्येक नीलामी केंद्र की मौजूदा प्रथा जारी रहेगी। ग. गैर-सदस्य खरीदार निःशुल्क नमूने प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। नमूने उन्हें स्वयं खरीदने होंगे तथा नमूने की कीमत, टी बोर्ड द्वारा इस संबंध में पहले जारी किए गए निदेशों के आधार पर नीलामी आयोजक द्वारा निर्धारित की जाएगी।	क. निकाले जाने वाले व्यापार नमूने की मात्रा लॉट आकार के 0.5% तक सीमित होगी, जो अधिकतम 4 किलोग्राम होगी। ख. ट्रेड सैंपल प्राप्त करने के लिए खरीदारों की पात्रता का मूल्यांकन विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा। मुफ्त ट्रेड सैंपल या सशुल्क सैंपल प्राप्त करने के लिए खरीदार की पात्रता का निर्णय भी विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा। ब्रोकरों को सैंपल भेजने से पहले विक्रेताओं से इस पर विकल्प प्राप्त करना होगा। ग. भुगतान किए गए नमूने के मामले में, नमूने की लागत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194आर के प्रावधान और सीबीडीटी द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार दिनांक 16.06.2022 और 13.09.2022 के परिपत्रों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
12.	व्यापारिक नमूनों की पैकिंग और वितरण क. सदस्य खरीदारों को एफटीएस की पैकिंग और डिलीवरी के संबंध में मौजूदा नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि, गैर-सदस्यों के लिए, खरीदार	क. संबंधित केन्द्रों द्वारा व्यापार नमूने के वितरण की प्रचलित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। ख. नमूने एल्युमिनियम फॉयल सिल्वर पाउच में वितरित किए जाएंगे।

भारत नीलामी नियम सं.	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
	द्वारा खरीदा गया नमूना ब्रोकर के कार्यालयों से नामित कूरियर एजेंसी (खरीदार द्वारा) द्वारा एकत्र किया जाएगा। कूरियर शुल्क खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा। ख. खरीदारों को दिए जाने वाले सभी नमूने मशीन द्वारा पैक किए जाएंगे।	एल्युमिनियम फॉयल सिल्वर पाउच का दोबारा उपयोग नहीं किया जाएगा। ग. खरीदारों को दिए जाने वाले सभी नमूने मशीन द्वारा पैक किए जाएंगे। घ) वितरित किए गए व्यापार नमूनों का विवरण (लॉट संख्या - फैक्ट्री लॉट संख्या और कैटलॉग लॉट संख्या, व्यापार नमूने में चाय की मात्रा, व्यापार नमूना मुफ्त है या नहीं, प्रेषण की तिथि, कूरियर शुल्क, आदि) संबंधित नीलामी केंद्रों द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित ब्रोकरों और विक्रेताओं को संबंधित डेटा तक पहुंच होगी

रामाशेषन समिति की सिफारिश के अनुसार, लॉट से नमूने लेने के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, जिसे उद्योग के साथ उचित परामर्श के बाद क्रियान्वित किया जा सकेगा।

भारत नीलामी 2021 पर अखिल भारतीय नीलामी नियम के उपर्युक्त संशोधन 1 जुलाई, 2025 से दक्षिण भारत के सभी पंजीकृत चाय नीलामी केंद्रों पर लागू होंगे। हालाँकि, यह टी बोर्ड की अगली सूचना तक उत्तर भारत के नीलामी केंद्रों पर लागू नहीं होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया।

24/11/2021 12:15:22

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

अखिल चाय उत्पादक संघ	सदस्यों के बीच सूचना एवं प्रसार हेतु
अखिल चाय क्रेता संघ	
अखिल चाय निर्यातक संघ	
सभी नीलामी आयोजक	
चाय नीलामीकर्ता संघ	
कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड, कुन्नूर एवं गुवाहाटी	कृपया सूचनार्थ
कार्यालय प्रभारी, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	
एनएसईआईटी लिमिटेड	आवश्यक कार्रवाई हेतु
ईपीटीएल	